न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 32/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/91

वादीगण	बनाम प्रतिवादी
1.देवीसिंह पुत्र रावतसिंह 2.हुकमसिंह पुत्र रावतसिंह 3.भट्टूसिंह पुत्र मूलसिंह 4.खेतसिंह पुत्र मूलसिंह 5.रामूकंवर पुत्री मूलसिंह 6.भंवरी कंवर बेवा मूलसिंह 7.भवंरसिंह पुत्र रतनसिंह 8.नरपतसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत निवासी गोलिया विदा (रिछोली) तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा	1.गुमनाराम पुत्र पनाराम जाति जाट निवासी साजियाली मूलराज क्यार तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता वादीगण

2.प्रतिवादी एकतरफा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक– 24/04/2026

1.संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम गोलिया वीदा तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 03 क्षेत्रफल 5.9812 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण की खातेदारी के सेढा सेढ प्रतिवादी संख्या 1 का खेत अवस्थित है। प्रतिवादी झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है तथा वादीगण की खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी द्वारा बलपूर्वक अवैघ कब्जा कर लिया गया है,वादीगण द्वारा प्रतिवादी को अवैघ कब्जा हटवाने का निवेदन किए जाने पर भी प्रतिवादी द्वारा अपना अवैघ कब्जा नही हटवाया गया। तब वादीगण की ओर से अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही करवाए गए,इसके उपरांत भी प्रतिवादी संतुष्ठ नही होने पर वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि का श्री न्यायालय से

सहायक कलक्टर
(S.D.O. बालोतरा

नेखमबंदी करवाए जाने का आदेश प्राप्त किया गया,जिसमें प्रतिवादी का अवैध कब्जा होना पाया गया। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रकबा 2.05 बीघा भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण परिशिष्ट अ में बरंग लाल से दर्शाए गए को,हटाया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का वाद पेश किया गया है।

2.वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए,प्रतिवादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही पारित की गई। प्रतिवादी संख्या 02 वक्त बहस उपस्थित नहीं हुए।

3.प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नही रही। वादीगण के वाद पत्र का वांछित अनुतोष ही तनकीयात समझी गई।

4.वादीगण की ओर से वाद–पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य में PW.01 देवीसिंह के बयानात कलमबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी,प्रदर्श 2–खसरा संख्या 98/30,99/4 जमाबंदी,प्रदर्श 3–आदेशिका प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 4–आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 05–नेखमबंदी आदेश दिनांक 10.5.2022 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श06–नेखमबंदी पालना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम गोलिया बीझा तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 03 क्षेत्रफल 5.9812 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण की खातेदारी के सेढा सेढ प्रतिवादी संख्या 1 का खेत अवस्थित है। प्रतिवादी झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है तथा वादीगण की खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी द्वारा बलपूर्वक अवैध कब्जा कर रखा है,वादीगण द्वारा प्रतिवादी को अवैध कब्जा हटवाने का निवेदन किए जाने पर भी प्रतिवादी द्वारा अपना अवैध कब्जा नही हटवाया गया। तब वादीगण की ओर से अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही करवाए गए,जिससे भी प्रतिवादी संतुष्ट नही होने पर वादीगण की ओर से अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने के आदेश प्राप्त हुए,उक्त आदेश की पालना में वादग्रस्त भूमि की नेखमबंदी कार्यवाही की गई,जिसमें प्रतिवादी का रकबा 2.05 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा होना पाया गया,जो पत्रावली के संलग्न नेखमबंदी पालना रिपोर्ट से प्रमाणित है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

ओर निवेदन किया कि वादीगण वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है और खातेदार की खातेदारी भूमि मे सेढा पड़ौसी द्वारा बलपूर्वक अवैघ कब्जा कर रखा है,जो अवैघ कब्जा हटाया जाकर वादीगण प्राप्ति करने का हकदार है। वादीगण की ओर से अपनी साक्ष्य सबूतो के आधार पर साबित किया है कि वादीगण की खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार पाटोदी द्वारा अपनी रिपोर्ट मे भी स्पष्ट अंकन किया है कि वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अवैघ कब्जा कर रखा है,जो बंरग लाल से दर्शित किया गया है। अतं मे निवेदन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौका रिपोर्ट मे दर्शित बरंग लाल भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का अवैघ अतिक्रमण हटवाया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध स्थाई निषेघाज्ञा जारी की जावें कि वादीगण की खातेदारी भूमि मे किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे।

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात,बयानात व नेखमबंदी पालना फर्द मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिसमे पाया कि ग्राम गोलिया वीदा तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 03 क्षेत्रफल 5.9812 हैक्टयर भूमि वादीगण की आवगी खातेदारी मे अवस्थित है,जो जमाबंदी प्रदर्श 1 अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है और अपनी खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किए गए अवैघ अतिक्रमण को हटवाने हेतु वाद-पत्र लाया गया है। मौका फर्द दिनांक 05.4.2023 व 06.4.2023 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 03 भूमि पर प्रतिवादी खसरा संख्या 04 के खातेदार का 2.05 बीघा भूमि पर कब्जा पाया गया। जो कि पत्रावली के संलग्न प्रदर्श 6 मौका फर्द व प्रदर्श 7-फर्द मौका के संलग्न नक्शा अवलोकन से स्पष्ट है,कि वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का अवैघ अतिक्रमण कर रखा है,जो कि वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य सबूतो के आधार पर साबित भी किया है। प्रतिवादी बावजूद तामीली के उपस्थित नही हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रतिवादी को वादीगण के वाद स्वीकार किए जाने पर मौन स्वीकृति है,क्योकि यदि उजर-एतराज होता है,तो प्रतिवादी द्वारा विधिक कार्यवाही की जाती,जो कि प्रतिवादी द्वारा नही की गई है। ऐसी सूरत मे वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O. बालोतरा

अनुतोषः-उपयुर्क्त विवचेन के आधार पर न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादीगण वाद-पत्र को साबित करने में बखूबी सफल रहे है तथा वादी के वाद पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

:निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गोलिया वीदा तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 03 क्षेत्रफल 5.9812 हैक्टयर भूमि मे मौका फर्द दिनांक 05.4.2023 व 06.4.2023 के संलग्न प्रदर्श 7-नक्शा में दर्शित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया जाकर वादीगण को सुपुर्द करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

(अशोक कुमार) 24/04/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर 24/04/2026
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री-पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः- **अशोक कुमार, आर.ए.एस.**
राजस्व वाद संख्या :- **32/2025**
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- **2025/91**

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादी**

1.देवीसिंह पुत्र रावतसिंह
2.हुकमसिंह पुत्र रावतसिंह
3.भट्टूसिंह पुत्र मूलसिंह
4.खेतसिंह पुत्र मूलसिंह
5.रामूकंवर पुत्री मूलसिंह
6.भंवरी कंवर बेवा मूलसिंह
7.भवंरसिंह पुत्र रतनसिंह
8.नरपतसिंह पुत्र रतनसिंह
जाति राजपूत
निवासी गोलिया विदा (रिछोली)
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

.गुमनाराम पुत्र पनाराम जाति जाट निवासी साजियाली मूलराज क्यार तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

मुकदमा नम्बर :32/2025
निर्णय दिनांक :-24.4.2026

वादीगण की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 24.4.2026 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**-वादीगण वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गोलिया वीदा तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 03 क्षेत्रफल 5.9812 हैक्टयर भूमि मे मौका फर्द दिनांक 05.4.2023 व 06.4.2023 के संलग्न प्रदर्श 7-नक्शा में दर्शित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया जाकर वादीगण को सुपुर्द करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा
यह आज तारीख 24.4.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया ---	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया -----
जोड़	--	जोड़	----

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा